छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

कमांकः 286/स.सा.प्र.वि./2020 अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 30/05/2020

प्रति,

1. भारसाधक सचिव,
   पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/खाद्य विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/श्रम विभाग/राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग/महिला एवं बाल विकास विभाग/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/परिवहन विभाग/राजस्व विभाग/गृह विभाग
2. समस्त संभागायुक्त
3. समस्त कलेक्टर

विषयः– माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में छूट देने, छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों हेतु क्वारेंटीन शिविरों में उपयुक्त व्यवस्था के संबंध में, तथा रोजगार बढ़ाने के लिए आर्थिक गतिविधियॉ खोलने के अन्य उपायों पर चर्चा हेतु बैठक एवं उसमें हुए निर्णयों के पालन के संबंध में।

––00––

दिनांक 27 मई 2020 को मुख्यमंत्री निवास में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में माननीय मंत्री गण एवं मुख्य सचिव सहित अधिकारी गणों की उपस्थिति में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में, धीरे–धीरे आर्थिक गतिविधियॉ खुलने के परिप्रेक्ष्य में, छूट देने के संबंध में विचार–विमर्श किया गया। साथ ही अन्य राज्यों से आये छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों को क्वारेंटीन शिविरों में रखने के संबंध में उपयुक्त व्यवस्था तथा अन्य उपायों पर चर्चा की गई। चर्चा उपरान्त लिए गए निर्णयों के पालन हेतु उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न कर आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Scanned with CamScanner

पृ.कमांकः 286–A /स.सा.प्र.वि./2020 अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 30/05/2020

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
2. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
3. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
5. समस्त विभागाध्यक्ष,

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Scanned with CamScanner

दिनांक 27 मई 2020 को मुख्यमंत्री निवास में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में माननीय मंत्री गण एवं मुख्य सचिव सहित अधिकारी गणों की उपस्थिति में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में, धीरे–धीरे आर्थिक गतिविधियॉं खुलने के परिप्रेक्ष्य में, छूट देने के संबंध में, साथ ही अन्य राज्यों से आये छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिक एवं अन्य व्यक्तियों को क्वारेंटीन शिविरों में रखने के संबंध में उपयुक्त व्यवस्था तथा अन्य उपायों पर चर्चा हेतु आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:–

1. वर्तमान में शनिवार एवं रविवार दो दिन सम्पूर्ण लॉकडाउन की व्यवस्था को समाप्त करते हुये पूर्व अनुसार सामान्य दिनों में दुकानों एवं व्यवसायिक संस्थाओं को खोलने हेतु अनुमति दी जाये। सभी दुकाने एवं संस्थाएं, जिनको गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा खोलने हेतु अनुमति है, वे सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी। पूर्वानुसार साप्ताहिक रुप से बाजार एक दिन बंद रखने की व्यवस्था को बनाये रखा जाये।ऐसे बाजार जो बहुत ही भीड़–भाड़ वाले क्षेत्र हैं वहॉं पर जिला स्तर से भीड़ को सीमित करने हेतु स्थानीय व्यवस्था बनाकर सोशल/फिजिकल डिस्टेंस मेंनटेन किया जाये। **(कार्यवाही–समस्त कलेक्टर)**
2. ऑटो, टैक्सी एवं बस सेवाओं के अंतर–राज्यीय संचालन एवं परिवहन पर प्रतिबंध रहेगा। **(कार्यवाही–परिवहन विभाग)**
3. कंटेनमेंट जोन में गृह मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशों के अनुसार केवल अत्यावश्यक सेवाओं को ही अनुमति होगी। **(कार्यवाही–समस्त कलेक्टर)**
4. श्रमिक स्पेशल एवं 1 जून से प्रारंभ होने वाली सामान्य ट्रेनों एवं पूर्व में संचालित राजधानी स्पेशल ट्रेनों हेतु निर्धारित संख्या में सार्वजनिक परिवहन के संचालन हेतु अनुमति दी जाये। लेकिन यह ध्यान रखा जाये कि इन वाहनों में यात्रिगण एवं वाहन चालक/हेल्पर द्वारा मॉस्क पहना जाये एवं सोशल/फिजिकल डिस्टेंस का पालन किया जाये। **(कार्यवाही– परिवहन विभाग)**
5. रेड जोन, ऑरेज जोन का निर्धारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाये परन्तु कंटेनमेंट जोन की सीमाओं का निर्धारण जिला कलेक्टर द्वारा किया जाये। **(कार्यवाही– स्वास्थ्य विभाग एवं समस्त कलेक्टर)**
6. क्वारेंटीन सेंटरों पर रुके हुये श्रमिकों को अत्याधिक गर्मी, अन्य दुर्घटनाओं जैसे सांप कॉटने से बचाव हेतु, खाने पीने की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था इत्यादि के लिए उपयुक्त उपाय किये जाये। यदि उपयुक्त सुविधायें वर्तमान क्वारेंटीन सेन्टर में उपलब्ध न हो तो आवश्यकतानुसार श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों को एक बेहतर क्वारेंटीन फैसिलिटी में स्थानांतरित किया जाये। क्वारेंटीन सेंटरों में साफ/सफाई की सम्पूर्ण व्यवस्था, आग लगने से सुरक्षा, कूलर पंखें की पर्याप्त सुविधा, शौचालय सुविधा होनी चाहिए। **(कार्यवाही–समस्त कलेक्टर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)**
7. क्वारेंटीन सेंटर मे रूके व्यक्तियों हेतु एक प्रतिदिन गतिविधियों की दिनचर्या बनाई जाये जिसमें मानसिक तनाव को कम करने के लिए योग, उपयुक्त प्रकार के खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का समावेश हो। **(कार्यवाही–समस्त कलेक्टर)**
8. जिले के सभी क्वारेंटीन सेंटरों को छोटे समूहों में विभक्त किया जाये और प्रत्येक छोटे समूह के निरीक्षण हेतु जोनल अधिकारियों की नियुक्त की जाये। प्रत्येक क्वारेंटीन सेंटर हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने चाहिए जो प्रतिदिन वहॉं की व्यवस्थाओं का परीक्षण करें एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करें। स्थानीय ग्राम पंचायत सचिव एवं अन्य कर्मचारी प्रभारी अधिकारी की सहायता करें। **(कार्यवाही–समस्त कलेक्टर)**

Scanned with CamScanner

9. 14 दिवस तक क्वारेंटीन समाप्त होने के उपरांत बिना लक्षण वाले व्यक्तियों को घर जाने की अनुमति दिया जाये। लक्षण वाले व्यक्तियों के लिए कोरोना जांच स्वास्थ विभाग के एसओपी अनुसार किया जाये। उपरोक्ता अनुसार घर पहुंचने वाले व्यक्ति आगामी 7 से 10 दिवस तक घर पर ही रहें ऐसा स्थानीय सचिव/सरपंच द्वारा सुनिश्चित किया जाये। इस संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पृथक से निर्देश जारी किये जायें। शहरी क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जाये जिसके बारे में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा निर्देश जारी किये जायें। **(कार्यवाही– पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)**

10. क्वारेंटीन सेंटरों में मानसिक तनाव से प्रभावित व्यक्तियों की कॉउसिलिंग हेतु विभिन्न विभागों में उपलब्ध कॉउन्सलर एवं क्लीनिकल साईक्लॉजिस्ट की सेवाएं प्रदान की जायें ताकि आत्महत्या जैसी घटनाओं से बचा जा सके। क्वारेंटीन सेंटर पर मनोरजंन सामग्री जैसे टी.वी., रेडियो आदि उपलब्ध कराई जाये। **(कार्यवाही– समस्त कलेक्टर एवं स्वास्थ्य विभाग)**

11. क्वारेंटीन सेंटर मे निवासी सभी श्रमिकों का स्किल मैपिंग किया जाये तथा उनको स्थानीय स्तर पर संचालित निर्माण गतिविधियों, मनरेगा कार्य, अन्य विकास योजनाओं में समायोजित कर लाभांवित किया जाये। इस हेतु श्रम विभाग एवं राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन/छत्तीसगढ़ स्किल डेवलपमेंट मिशन के माध्यम से कार्यवाही किया जाये। **(कार्यवाही– श्रम विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग)**

12. अपंजीकृत श्रमिकों को मनरेगा में जॉब कार्ड पंजीयन तथा श्रम विभाग की संस्थाओं जैसे – कर्मकार मण्डल एवं असंगठित मजदूर मण्डल में पात्रता अनुसार पंजीयन किया जाये। **(कार्यवाही– श्रम विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)**

13. चिन्हित धान खरीदी केन्द्रों में पक्के चबुतरें का निर्माण मानक डिजाईन एवं प्राकल्लन अनुसार अतिशीघ्र किया जाये। अधिक से अधिक संख्या में मनरेगा कार्यो को प्रारंभ किया जाये ताकि बारिश से पूर्व प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिया जा सके। **(कार्यवाही– पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)**

14. क्वारेंटीन शिविरों में छोटे बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जायें और उनको लाभान्वित करने वाली योजनाओं का लाभ दिया जाये। आगनबाडी एवं स्कूल जाने योग्य आयु के बच्चों को आगनबाड़ी एवं स्कूल में पंजीकृत किया जाये। **(कार्यवाही– महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग)**

15. शादी के आयोजन हेतु अनुमति (अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति की शर्त पर) एवं अंतिम संस्कार की अनुमति (अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति की शर्त पर) एस.डी. एम./तहसीलदार स्तर से दी जाये ताकि सामान्यजन को कठिनाई न हो। **(कार्यवाही– समस्त कलेक्टर)**

16. 1 जुलाई से स्कूलों को खोलने हेतु आवश्यक तैयारी की जाये। कई स्थानों पर क्वारेंटीन सेंटर स्कूल भवनों में संचालित हैं। यह सुनिश्चित करें कि स्कूल भवन खाली होने तथा उसके उपरान्त सैनिटाईजेशन की कार्यवाही उपरान्त ही स्कूल का संचालन प्रारंभ किया जाये। **(कार्यवाही–स्कूल शिक्षा विभाग)**

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Scanned with CamScanner